परिपत्र सं. 06/06/2017 – सीजीएसटी

फा0 सं0 354/149/2017-टीआरयू

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (समस्त) / प्रणाली महा निदेशक

महोदया / महोदय,

विषय: लाटरी टिकट का वर्गीकरण और उनपर जीएसटी की दर से संबंधित विषय की बाबत ।

लाटरी की आपूर्ति को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत किसी माल की आपूर्ति माना जाता है ।

2. तदनुसार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर लाटरी की आपूर्ति से संबंधित जीएसटी की दर को सीजीएसटी /एसजीसीटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी से संबंधित जीएसटी दर की अधिसूचनाओं में अधिसूचित कर दिया गया है। हालांकि संबंधित अधिसूचनाओं में दी गई प्रविष्टियों में लाटरी का वर्गीकरण ''-'' के रूप में किया गया है ।

3. इस संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि आबंटित कोड में विसंगति होने के कारण , क्योंकि लाटरी को एक वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसे जो कोड मिला वो सेवा के अंतर्गत है, अत: इसके कार्यकर्ता समय से रिर्टन समय से न तो अपलोड कर पाते हैं और न ही जमा कर पाते हैं ।

4. इस मामले पर विचार किया गया है I यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के कर की दर से सम्बंधित है I और यह भी स्पष्ट है कि लाटरी टिकट के कर की दर स्पष्ट है I जैसा कि ऊपर लिखा गया है जीएसटी लाटरी एक वस्तु है और इसका वर्गीकरण लाटरी की अधिसूचनाओं में ''-'' के रूप में किया गया है जो कि कोई भी अध्याय माना जा सकता है ।

5. इस तरह से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सीजीसीटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, से संबंधित अधिसूचनाओं में लाटरी का वर्गीकरण कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम

अनुसूची के 'किसी भी अध्याय ' के रूप में किया गया है और तदनुसार लाटरी पर कर का भुगतान कर के भुगतान के लिए 12 प्रतिशत या 28 प्रतिशत , जैसी भी स्थिति की दर निर्दिष्ट की गई गई है ।

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार (टीआयू)